

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3, खण्ड-4, उप-खण्ड-(i) में प्रकाशनार्थ]

(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) का नाम)

अधिसूचना

स्थान (मुख्यालय का नाम)

तारीख 2018

सं. प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 30 के साथ पठित धारा 17(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (आरआरबी का नाम) के निदेशक बोर्ड से जो प्रायोजक बैंक है, और राष्ट्रीय बैंक से परामर्श करने के पश्चात् और केंद्रीय सरकार की पूर्व स्वीकृति से (आरआरबी का नाम) (अधिकारी और कर्मचारी सेवा विनियम, (विनियम के प्रकाशन का वर्ष) का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं अर्थात्:-

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम (आरआरबी का नाम) (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. (आरआरबी का नाम) (अधिकारी और कर्मचारी) सेवा विनियम, (विनियम के प्रकाशन का वर्ष) जिसे (इसके पश्चात् मूल विनियम कहा गया है) के विनियम-2 में खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड को अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

‘(डक) “पेंशन विनियम” से (आरआरबी का नाम) (कर्मचारी) पेंशन विनियम, 2018 अभिप्रेत है;’।

3. मूल विनियम के विनियम, 71 में उप-विनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित उप-विनियम को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी पेंशन विनियम के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत पेंशन विनियम निधि का सदस्य बनने के विकल्प का चयन करता है और उक्त विकल्प का चयन करने के पश्चात् उक्त उप-विनियम के अनुसार बैंक की भविष्य निधि के न्यास के द्वारा उपार्जित ब्याज सहित बैंक के संपूर्ण अंशदान को पेंशन विनियम के अंतर्गत गठित निधि को अंतरित करवाता है, पेंशन विनियम के द्वारा शासित होगा।

(4) मृतक कर्मचारी का परिवार, जो पेंशन विनियम के विनियम 3 के उप-विनियम (1) के अंतर्गत पेंशन विनियम निधि का सदस्य बनने के विकल्प का चयन करता है और उक्त

विकल्प का चयन करने के पश्चात् उक्त उप-विनियम के अनुसार राशि वापस करता है, पेंशन विनियम के द्वारा अभिशासित होगा।

(5) इस विनियम के उप-विनियम (1) से (4) में किसी बात के होते हुए, यदि कोई कर्मचारी जो 1 अप्रैल, 2018 को या इसके पश्चात् बैंक की सेवा में आता है, तो वह राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के द्वारा शासित होगा।

स्पष्टीकरण- इस उप-विनियम के प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2013 (2013 का 23) की धारा 2 की उप-धारा (1) के खण्ड (i) में परिभाषित राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अभिप्रेत है।”

(अध्यक्ष का नाम)

..... (आरआरबी का नाम)

टिप्पणी: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग - 3, खण्ड-4, उप-खण्ड (i) में संख्यांक तारीख के द्वारा प्रकाशित की गई थी और तत्पश्चात् अधिसूचना संख्या , तारीख के द्वारा इसमें संशोधन किया गया।